न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारी –पुष्कर कुमार मित्तल,आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या–259 / 2008

बंगाली पुत्र गोपी जाति खाती,निवासी चक बहनेरा,तहसील व जिला भरतपुर ।

––वादी

वनाम

चन्दनसिंह पुत्र करनसिंह जाति जाट,निवासी उॅचा नगला,तहसील व जिला भरतपुर ।

––प्रतिवादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

निर्णय **दिनॉक 07.11.2017**

वादी के वारिसान रामदुलारी वगै0 ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 दिनॉक 29.09.2016 को इस आशय का पेश किया कि प्रकरण में वादी बंगाली दिनॉक 25.05.2013 को फौत हो चुका है । उसके वारिसान मृतक के कानूनी वारिस हैं और मृतक की छोडी हुई सम्पत्ति पर काबिज हैं ।

मृतक वादी बंगाली के वारिसान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22–नियम–03 सी.पी.सी.पर बहस सुनी गई । वारिसान के अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया । पत्रावली का अवलोकन किया । तथ्य इस प्रकार है कि :–

वादी बंगाली द्वारा जरिये अभिभाषक दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए.इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि वाके ग्राम चक बहनेरा तहसील भरतपुर स्थित ख0नं0 80 / 0.24,88 / 236 / 0.02 किता 2 रकवा 0.26 हैक्टेयर वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी हैं जिसमें गेंहू की फसल बोई है जा सरसब्ज खडी है और कटने को तैयार है प्रतिवादी का इस आराजी से किसी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है । मगर वह नाजायज तरीके से वादी की फसल को काटने का इरादा रखता है और प्रतिवादी ने दिनॉक 20.03.2008 को इस आशय की धमकी वादी को दी है । अगर प्रतिवादी अपनी धमकी में कामयाव हो गया तो वादी को असीम क्षति होगी जो जरिये नकद पूरी होना सम्भव नहीं है ।

अन्त में वादी ने प्रार्थना की है कि प्रतिवादी को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई से पाबंद किया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी ख0नं0 80/0.24 ,88/236/0.02 स्थित चक बहनेरा में किसी प्रकार की मदाखलत नहीं करें । वादी की खडी फसल को नहीं काटे ।

दावा दर्ज किया रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलव करने के आदेश दिये गये । वादी द्वारा दिनॉक 01.04.2008 को अदालत हाजा में यह वाद प्रस्तुत किया गया किन्तु चार साल तक प्रतिवादी की तलवी नहीं कराई गई । तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनॉक 01.05.2012 को प्रतिवादी की तलवी रजिस्टर्ड ए.डी.से कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं तलवी न कराने पर दावा वादी अपालना में खारिज करने की चेतावनी दी गई । इसके अलावा तलवी न कराने पर यही चेतावनी दिनॉक 03.06.2013, 07.09.2015 एवं 20.01.2016 को भी दी गई ।

दिनॉक 29.09.2016 को वादी के वारिसान द्वारा जरिये अभिभाषक प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 3 जा0दी0वादी बंगाली के फौत होने पर प्रस्तुत किया है । प्रार्थना–पत्र में बंगाली की मृत्यु दिनॉक 25.05.2013 को होना उनके द्वारा स्वीकार किया गया है । यह प्रार्थना–पत्र वादी बंगाली की मृत्यु हो जाने के लगभग साढे तीन साल बाद विलंब से पेश किया है यहॉ यह तथ्य स्पष्ट है कि अभिभाषक वादी को वादी के फौत होने की सूचना प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व में थी किन्तु प्रार्थना–पत्र देरीना से पेश किया है । इस अवधि में वादी के अभिभाषक न्यायालय को गुमराह करते रहे और पत्रावली अनावश्यक रूप से प्रतिवादी की तलवी की स्टेज पर ही लंबित रही ।

इस प्रकार प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0दी0काफी विलंब से पेश करने पर चलने योग्य नहीं है । दावा वादी अवेटमैंट में खारिज किये जाने के काविल रहता है ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः आज्ञा है किः–

प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा0दी0चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा वादी का दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए.भी अवेट होने पर खारिज किया जाता है । तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो । निर्णय आज दिनॉक 07.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर,भरतपुर